न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 33 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 286

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व / भू.अ., अनूपगढ़

–अपीलार्थी

बनाम

1. लच्छिया पुत्र ज्ञानाराम जाति बावरी साकिन 5 / 8 ए तहसील अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व / भू.अ., अनूपगढ़

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार, अनूपगढ, अपीलार्थी
2. श्री गुरतेज सिंह, प्रत्यर्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. तहसीलदार अनूपगढ़ राज्य पक्ष की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि चक 8 ए तहसील अनूपगढ़ प.नं. 273 / 467 मु.नं. 9 की 3.289है. भूमि ज्ञानाराम पुत्र मालूराम के नाम से खातेदार दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि वसीयत के रिमाण्ड प्रकरण के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 लच्छिया के नाम से तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.06.2018 के द्वारा जरिये इन्तकाल सं. 203 दर्ज कर स्वीकृत किया गया। जबकि भूमि एसबीबीजे(एडीबी शाखा) अनूपगढ़ के पक्ष में राहिन थी जिसका नोट जमाबंदी में दर्ज था, जिसे रहन फक किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं, को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी की ओर से बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान कर दिया गया हैं, अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं अपील अपीलार्थी अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
3. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नामान्तरकरण दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें भूमि बैंक के राहिन दर्ज हैं तथा भूमि के राहिन दर्ज होते वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से नामान्तरणकर दर्ज व स्वीकृत किया गया हैं। प्रत्यर्थी की ओर से बैंक द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि पर लिए ऋण को चुकता किये जाने का अंकन हैं, प्रस्तुत किया गया हैं। प्रत्यर्थी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि उनके द्वारा समस्त ऋण राशि का भुगतान कर दिया गया हैं, अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

   अपीलार्थी द्वारा भी अपील प्रस्तुत करने का मुख्य आधार पर भूमि का बैंक के पक्ष में रहन होने के दौरान इंतकाल किया जाना हैं, न्यायालय की राय में ऐसी स्थिति में चूंकि प्रत्यर्थी के द्वारा ऋण राशि का भुगतान कर दिया गया हैं, अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अपील अस्वीकार किये जाने का कोई आधार शेष नहीं रह गया हैं, अपील खारिज योग्य हैं।
4. लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

   निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:47 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)

I.A.S

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ़